चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 07.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 07.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने के लिये अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविंद कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा ग्राम गड़रियन पुरवा मजरा देवरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट से ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये अभियुक्त 1. शिवचरण शुक्ला पुत्र मुन्ना लाल शुक्ला निवासी ग्राम लौरी लोखरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 2. धीरेंद्र त्रिपाठी पुत्र उमेश कुमार त्रिपाठी 3. भूमि दत्त त्रिपाठी पुत्र शंकर दयाल त्रिपाठी निवासीगण ग्राम नेवरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट 4. उमाकांत त्रिपाठी पुत्र श्रीनिवास 5. देवकीनंदन राजपूत पुत्र राम सुमित्र निवासीगण ग्राम हन्ना विनैका थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 11500/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 9000/- रुपये (कुल रुपया 20500/-) व 05 अदद मोटरसाइकिलें बरामद की गयी । अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बरामदशुदा मोटरसाइकिलों को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

बरामदगीः-

1. मालफड़ 11,500/- व 52 अदद ताश के पत्ते
2 .जामा तलाशी 9000/- रुपये
3. 05 अदद मोटरसाइकिलें

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना रैपुरा
2. उ0नि0 श्री रविकान्त राय
3. आरक्षी महेन्द्र सिंह
4. आरक्षी राजमंगल

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने के लिये अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अंशुल कुमार तथा उनके हमराही द्वारा जिलाबदर अभियुक्त विशोक सिंह पुत्र दिलदार सिंह निवासी चकला थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा जिलाधिकारी महोदय के जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करते हुये पाये जान पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 96/2024 धारा 10 यूपी0 गुण्डा एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 296/2021 धारा 452,504,506 भादवि
2. मु0अ0सं0 642/2016 धारा 452,323 भादवि
3. मु0अ0सं0 189/2018 धारा 147,148,452,352.323,504,506 भादवि
4. मु0अ0सं0 231/2022 धारा 149,148,149,325,323,504,506 भादवि
5. एनसीआर नं0 225/2021 धारा 323,504,506 भादवि
6. एनसीआर नं0 143/2022 धारा 323,504,506 भादवि
7. एनसीआर नं0 230/2021 धारा 323,504,506 भादवि
8. मु0सि0सि0नं0 01/2023 धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट
9. मु0अ0सं0 96/2024 धारा 10 यूपी0 गुण्डा एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अंशुल कुमार थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी राहुल देव

(5). आज दिनाँक-07.02.2024 को पुलिस लाइन चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी लाइन्स श्री राज कमल, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री प्रदीप कुमार पाल एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण द्वारा आरक्षी स्व0 वीरेन्द्र यादव के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर शोक सलामी दी गयी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्व0 वीरेन्द्र कुमार के शव को कंधा देकर अन्तिम विदाई दी गयी तथा महोदय द्वारा इस दुःखद घड़ी में परिवारीजन को ढ़ाढ़स बंधाते हुये हर संभव मदद का भरोसा दिया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप

माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ सुश्री संघमित्रा द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 1242/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त शिवबाबू पुत्र लल्लू केवट निवासी काशीनाथ का पुरवा बियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को जुर्म स्वीकार के आधार पर जेल में बिताई गई 40 दिन की अवधि व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
(1). उ0नि0 श्री अरविंद कुमार सिंह थाना रैपुरा तथा उनके हमराही आरक्षी नन्हे यादव द्वारा मु0अ0सं0 157/2023 धारा 376,506 भादवि के वांछित अभियुक्त सद्दाम हुसैन पुत्र स्वर्गीय अजीज अली निवासी पहाड़ी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।
(2). उ0नि0 श्री मातादीन थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही आरक्षी विकेश मौर्य द्वारा मु0नं0 498/2019 धारा 323,504 भादवि के वारंटी में अभियुक्त रामचरण यादव पुत्र प्रेमचंद यादव निवासी बारामाफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।